केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 39 गुरूवार 28 अगस्त 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रूपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

नाबालिग की शादी कराने पर पंडित समेत 6 पर मुकदमा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती के मुण्डेरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 24 अगस्त 2025 को रात करीब 10 बजे ग्राम पडरी स्थित काली माता मंदिर में नाबालिग लड़की का विवाह कराया गया। 16 वर्षीय लड़की की शादी 21 वर्षीय नितेश गौड़ से कराई गई। नितेश गौड़ ग्राम गुलरिहा सिरमा का रहने वाला है। विवाह की सभी रस्में पंडित पुरूषोत्तम ने संपन्न कराई। लड़की के परिजनों ने भी इस विवाह की सहमति दी थी।

पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9/10/11 के तहत कार्रवाई की है। मुकदमे में दूल्हा नितेश गौड़, उसके माता–पिता राकेश गौड़ और सुनीता देवी को आरोपी बनाया गया है। लड़की पक्ष से उसके पिता फूलचंद गौड़ और माता चैना देवी के साथ विवाह कराने वाले पंडित पुरूषोत्तम को भी आरोपी बनाया गया है।

पुलिस का कहना है कि नाबालिगों की शादी कराना कानूनन अपराध है। प्रशासन ने लोगों से इस कुप्रथा में शामिल न होने की अपील की है। साथ ही ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा है। इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में सख्त कार्रवाई का संदेश दिया जा रहा है।

गणेश पूजा की धूम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। सुबह से ही लोग मूर्तिकारों से गणेश प्रतिमाएं लेकर घरों को जा रहे हैं। ढोल–नगाड़ों की धुन पर बच्चे, महिलाएं और युवा गणपति बप्पा की प्रतिमाएं ले जा रहे हैं।

नगर के चौराहों, मोहल्लों और गांवों में पंडाल सजाए गए हैं। पंडालों को झालरों, रंग–बिरंगी लाइटों और फूल–मालाओं से सजाया गया है। भक्तों ने जगह–जगह स्वागत द्वार बनवाए हैं। पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी। आरती और भजन–कीर्तन के साथ कार्यक्रम शुरू होंगे। मूर्ति विक्रेताओं के मुताबिक इस बार हजारों छोटी–बड़ी प्रतिमाएं तैयार की गई हैं।

निःशुल्क बनाया जा रहा है फैमिली आईडी कार्ड

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान) कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित हैं।

उन्होने बताया कि फैमिली आईडी सहज जन सेवा केन्द्र, पंचायत सहायक तथा स्वंय ऑन लाइन माध्यम से बनवाया जा सकता है। यदि आधार कार्ड में अंकित मोबाइन नं. खो गया हो या किसी कारण से बंद हो गया हो, तो नया मोबाइल नम्बर नजदीकी किसी सी०एस०सी० अथवा क्षेत्र के पोस्टमैन द्वारा 50 रूपया शुल्क देकर नम्बर अपडेट कराया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि फैमिली आईडी बन जाने से राशन कार्ड नहीं बन पायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश निर्गत है कि फैमिली आईडी बनने के बाद भी यदि लाभार्थी राशन कार्ड के पात्र होंगे तो राशन कार्ड भी बनाया जायेगा।

मंदिर, पानी, श्मशान में नहीं होना चाहिए कोई भेद– मोहन भागवत

नई दिल्ली (आभा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और श्मशान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा पर भी बात की। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व क्या है? हिंदू विचारधारा क्या है? संक्षेप में कहें तो दो शब्द हैं, सत्य और प्रेम। दुनिया एकता पर चलती है। यह सौदों से नहीं चलती, यह अनुबंधों से नहीं चलती, यह चल ही नहीं सकती।

उन्होंने कहा, 'हिंदू राष्ट्र का जीवन–लक्ष्य क्या है? हमारा हिंदुस्तान, इसका उद्देश्य विश्व कल्याण है। विकास के क्रम में, दुनिया ने अपने भीतर खोजना बंद कर दिया... अगर हम अपने भीतर खोजेंगे, तो हमें शाश्वत सुख का स्रोत मिलेगा जो कभी मिटता नहीं। इसे पाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और इससे सभी सुखी होंगे। सभी एक–दूसरे के साथ सद्भाव से रह सकेंगे। दुनिया के कलह समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में शांति और सुख होगा।

मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी तीसरे विश्वयुद्ध जैसी स्थिति आज दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं स्थायी शांति स्थापित नहीं कर पाई हैं। इसका समाधान केवल धर्म संतुलन और भारतीय दृष्टि से ही संभव है। उन्होंने कहा कि हमें तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम सम्पूर्ण हिंदू समाज को एक करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और हम यह कैसे कर सकते हैं?

प्रधानाध्यापक राजीव उपाध्याय का राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

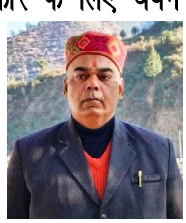

बस्ती। विकास क्षेत्र बहादुरपुर के प्राथमिक विद्यालय अगई भगड़ में कार्यरत प्रधानाध्यापक राजीव उपाध्याय का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। बुधवार को जैसे ही शासन से सूची जारी हुई, शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होने राजीव उपाध्याय के इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त किया।

यह जानकारी देते हुये शिक्षक नेता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन पर राजीव उपाध्याय को मुख्य रूप से ए0 डी0बेसिक संजय कुमार शुक्ल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी, खण्ड शिक्षा बहादुरपुर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल, शैल शुक्ल, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अभय सिंह यादव, सर्वेष्ट मिश्रा अम्बिका पाण्डेय, चंद्रिका सिंह, संघ, बालकृष्ण ओझा,राम भरत वर्मा, दुर्गेश यादव, राजेश पाठक, डाक्टर प्रमोद सिंह, विन्धेश्वरी प्रसाद,अटल उपाध्याय, प्रमोद त्रिपाठी, मनीष मिश्रा, पवन चौधरी, जयप्रकाश श्रीवास्तव, स्कन्द दूबे, संतोष कुमार गुप्ता, आषुतोष पाण्डेय, रीता शुक्ला, विवेकानंद चौरसिया, सुशील पांडेय, मावेष, ज्ञान चन्द्र मिश्रा खण्ड शिक्षा अधिकारी विनोद तिवारी , आशा तिवारी, दिव्यांश तिवारी, संतोष शुक्ला, संध्या गुप्ता, अमरेन्द्र सिंह, अनिल यादव, अनिल मिश्रा, करुणेश पाण्डेय, गिरजा शंकर सिंह, श्री कांत मिश्र, राजकुमार सिंह, राहुल उपाध्याय, ज्ञान प्रताप उपाध्याय, मिथिलेश श्रीवास्तव, अनिल चौधरी, देवेन्द्र वर्मा सहित जनपद के सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

लव जिहाद, घुसपैठ रोकने के लिये भाजपा ने किया समिति का गठन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष समिति बनाई है। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के निर्देश पर गठित इस समिति को धर्मांतरण, लव जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी सामाजिक चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यालय प्रमुख अमृत कुमार वर्मा ने बताया कि समिति में 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इनमें सत्येंद्र सिंह भोलू, दिलीप पांडेय, अभिषेक कुमार, विद्यामणि सिंह, राजकुमार शुक्ल, सुनील सिंह, विनोद चौधरी, वरुण सिंह, तारक जायसवाल, पिंटू सोनकर और प्रदीप निषाद शामिल हैं।

जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों, गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। यह समिति जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान करेगी। साथ ही समाधान के लिए संगठन और प्रशासन से समन्वय स्थापित करेगी।

समिति पीड़ितों को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। भाजपा का मानना है कि समाज में शांति और सुरक्षा कायम रखना संगठन की पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समिति को सक्रिय किया गया है। इससे बस्ती जिले में कोई भी किसान या पीड़ित न्याय से वंचित न रहे।

बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में शिथिलता क्षम्य नहीं, मानीटरिंग का निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बैंक से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऋण स्वीकृत के लिए जो भी आवेदन आते है, उसका तत्काल नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि जिन बैंको की प्रगति खराब है, वे तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करना सुनिश्चित करें। उन्होने एलडीएम आर.एन. मौर्या को निर्देश दिया कि बैंको का मानीटरिंग सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो समस्याए अवगत करायी है, उस पर संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ शतप्रतिशत प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को अवश्य मिलें। बैठक में पाया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधी लम्बित पत्रावलियों को तत्काल निस्तारित किया जाय।

बैठक में संयोजक निदेशक आर सेटी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 30 कार्यक्रम के माध्यम से 1000 प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 09 प्रशिक्षण के माध्यम से 251 प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बैठक का संचालन एलडीएम आर.एन. मौर्या ने किया। इसमें सांसद प्रतिनिधि जवाहर लाल वर्मा, विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चन्द्र सोनकर, हर्रैया सरोज मिश्रा, सदर के मो. सलीम, महादेवा के फूलचन्द्र श्रीवास्तव, एलएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, पीडी राजेश कुमार, डीडीएम नाबार्ड मनीष कुमार, अग्रणी बैंक आर.बी.आई. श्रवण कुमार, मुख्य प्रबंधक आर ए सीसी आरबीआई मनीष कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, मत्स्य अधिकारी संदीप कुमार वर्मा, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पी.एन. सिंह, जिला परियोजना अधिकारी डूडा सुनीता सिंह सहित समस्त जिला समन्वयक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

48 मुख्य सेविकाओं में नियुक्ति पत्र वितरित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में नवचयनित 48 मुख्य सेविकाओ को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियो एवं प्रशासनिक अधिकारियो की उपस्थित में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया तथा मुख्यमंत्री ने लोकभवन समागार लखनऊ में 2425 मुख्य सेविकाओं एवं 12 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किया । उनके उद्बोधन को कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित लोगों ने सुना। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण के साथ–साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संकलित आई.सी.डी.एस. विभागीय दिग्गदर्शिका का वितरण भी नवचयनित मुख्य सेविकाओ को जनप्रतिनिधियो द्वारा किया गया।

विधायक हर्रैया अजय सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुये कहा गया कि नवचयनित मुख्य सेविकाओ के मार्गदर्शन हेतु यह विभागीय दिग्गदर्शिका भगवत गीता का कार्य करेगी। विधायक द्वारा नवचयनित मुख्य सेविकाओ के पतियो एवं अभिभावको से भी संवाद स्थापित करते हुये आग्रह किया गया कि वे अपने पत्नी/पुत्रियो को पूर्णतः बिना अहम को बीच में लाये सहयोग प्रदान करे, जिससे वे पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यो का निर्वहन कर सके। उन्होने प्रदेश सरकार के निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिये सरकार का आभार भी व्यक्त किया ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में देवेन्द्र सिंह, बलराम सिंह, देवेन्द्र मिश्र, कृष्णेन्द्र यादव, सुधीर कुमार यादव, डी.पी.सी. (पी.एम.एम.वी.वाई.), प्रधान सहायक, मनोज कुमार, देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती साधना, श्रीमती आरती पारस, श्रीमती शिखा मिश्रा, मुख्य सेविका, ब्लाक समन्वयक, श्रीमती अन्तिमा सिंह, दीपक कुमार, गौरव गौतम, शिवकुमार यादव, आदि ने सहयोग किया । संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष, जिला पंचायत संजय चौधरी, विधायक हर्रैया अजय सिंह, सदस्य विधान परिषद के प्रतिनिधि हरीश सिंह, विधायक प्रतिनिधि गुलाब चन्द्र सोनकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, परियोजना निदेशक राजेश कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

वैष्णो देवी हादसाः यूपी के मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

लखनऊ (आभा)। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जम्मू–कश्मीर में बारिश और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। इसमें वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन में मरने वाले 32 लोग शामिल हैं। वहीं, 20 से अधिक घायलों का इलाज चल रहा है। इस हादसे में मरने वाले यूपी के भी लोग शामिल हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के

परिजनों को 4–4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

जम्मू–कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा में मारे गए उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4–4 लाख की मदद देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मृतकों के शव उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

कम्पनी बनाकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले पति, पत्नी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कोतवाली पुलिस ने बुधवार को एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मड़वानगर स्थित घर से एक दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामाश्रय प्रजापति और उनकी पत्नी लखन ने अपने बेटों के साथ मिलकर कई लोगों को शिकार बनाया। आरोपियों ने जमीन की खरीद–बिक्री, शेयर मार्केट और व्यवसाय में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे।

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने जमीन दिखाकर रजिस्ट्री का वादा किया। एक पीड़ित ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदने का सौदा किया। उसने 16.50 लाख रुपए अग्रिम के रूप में दे दिए। लेकिन न तो रजिस्ट्री हुई और न ही पैसे वापस मिले।

आरोपियों ने एक कंपनी बनाकर शेयर मार्केट में निवेश का झांसा दिया। 10 प्रतिशत मासिक लाभ का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ले लिए। विरोध करने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। जांच के बाद दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में विनोद यादव, गौरव यादव, धनंजय यादव, आशुतोष चौहान और दिलीप समेत अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने यह कार्रवाई की।

बीएसए ने किया हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान पोस्टर का विमोचन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने 'हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान' का पोस्टर का विमोचन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पहल की सराहना करते हुये कहा कि विद्यालयों में अच्छी शिक्षा और छात्रों को संस्कार देने का दायित्व शिक्षकों पर है।

विमोचन के बाद महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉ. अरविन्द कुमार निषाद ने बताया कि आगामी 1 सितम्बर को शासकीय, अशासकीय और परिषदीय विद्यालयों में 'हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान' पंच संकल्प दिलाया जायेगा। बताया कि देश के पांच लाख विद्यालयों में एक साथ शिक्षकों और छात्रों को पंच संकल्प दिलाया जायेगा। इन संकल्पों में विद्यालयों को स्वच्छ, अनुशासित, हरित और प्रेरणास्पद बनाने, सम्पत्ति,

–1 सितम्बर को स्कूलों में दिलाया जायेगा पंच प्रण का संकल्प

समय और संसाधनों को राष्ट्रधन मानते हुये उनका विवेकपूर्ण उपयोग आदि शामिल है।

'हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान' का पोस्टर के विमोचन अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अध्यक्ष डॉ. अरविन्द कुमार निषाद, कुंवर राकेश प्रताप सिंह, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अटल बिहारी गौड़, डॉ. अंगद पाण्डेय, नीलम पाण्डेय, डॉ. दुर्गा प्रसाद सिंह, अमरेन्द्र चौधरी, राजकुमार प्रजापति आदि शामिल रहे।

विधवा ने ग्राम प्रधान पर लगाया पति से जमीन लिखवाकर हत्या करा देने का आरोप

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को कलवारी थाना क्षेत्र की बैंडारी मुस्तहकम निवासिनी मीरा देवी पत्नी स्वर्गीय ध्रुव चन्द्र अपने तीन बेटियों और एक बेटे के साथ डी.एम. कार्यालय पहुंची और डीएम के साथ एसपी को भी पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया। पति के चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मीरा देवी 12 साल के बेटे विपिन जिसके हाथ में पिता को चिता देने के बाद कुल्हाड़ी थी इन्साफ की गुहार लगाने आ गयी। विधवा मीरा देवी ने पत्र में कहा है कि ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार ने उसके पति को दारू पिलाकर जमीन लिखवा लिया और 20 अगस्त को ध्रुवचन्द्र को इतनी शराब पिलाई गई कि वह मरणासन्न हो गया। ग्राम प्रधान ध्रुवचन्द्र को मरणासन्न छोड़कर चले गये। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान ध्रुवचन्द्र की मौत हो गयी।

पत्र में ध्रुवचन्द्र की विधवा मीरा ने कहा है कि ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार उनकी सम्पत्ति को हड़प लेना चाहते हैं। बैंडारी मुस्तहकम में उसकी छोटी सी दूकान है जिससे परिवार की जीविका किसी तरह से चलती है। ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार ने 27–12–2024 को ध्रुवचन्द्र से नुमाइसी बैनामा लिखा लिया है जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है। जो पैसा देना दस्तावेज में दिखाया गया है उसने ध्रुवचन्द्र से उसे वापस ले लिया। ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार ने उसकी दूकान पर जबरिया कब्जा कर लेना चाहते हैं। उसने डीएम से मामले की जांच, दोषी पर कार्यवाही की मांग किया है।

इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान अभिषेक कुमार का कहना है कि मीरा द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है। ग्राम प्रधानी का चुनाव नजदीक आने के कारण उसके विरूद्ध साजिश की जा रही है। उसने 8 लाख रूपया दिया है जिसमें कुछ नकद और बाकी बैंक खाते में दिया गया है। जांच से इसका सच सामने आ जायेगा।

–डीएम से लगाया न्याय की गुहारः तीन बेटियों, एक बेटी के साथ पहुंची थी मीरा –ग्राम प्रधान ने कहा आरोप बेबुनियाद, उसने पैसा देकर जमीन खरीदा

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 अगस्त 2025 गुरूवार

सम्पादकीय

हंसी के नाम पर ....?

हास–परिहास हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है– हंसी, मजाक, जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो हंसी–मजाक से उसके भीतर उदासी के भाव को कम किया जा सकता है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मगर जब हंसने और हंसाने के लिए परिहास के बजाय किसी का उपहास किया जाए, तो उसे मानवीय, नैतिक और कानूनी पहलू से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत इसे अपने अहंकार की तुष्टि, असभ्य व्यवहार और असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा।

ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले पांच लोगों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश देना उन लोगों के लिए भी सबक है, जो सार्वजनिक रूप से किसी का उपहास करने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि व्यावसायिक फायदे के लिए टिप्पणी करना और प्रतिबंधित भाषण मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई तरह के हास्य कार्यक्रम एवं सामग्रियां परोसी जा रही हैं और इस दौरान हास्य के नाम पर आपत्तिजनक टीका– टिप्पणियों के मामले भी सामने आते रहते हैं। लोगों का मनोरंजन एक तरफ है, लेकिन किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की भावनाओं को आहत करना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रस्तोताओं की यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई भी टिप्पणी करते समय सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए।

खासकर, जब ऐसे लोग उपहास से पीड़ित हों, जो समाज में हाशिये पर रहने वाले वर्ग से संबंधित हों, तो मामले की गंभीरता और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले जिन पांच लोगों का मामला सामने आया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि आरोपियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल उन दिव्यांगों के उपचार में किया जा सकता है, जिन्हें उपहास का पात्र बनाया गया।

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या हास्य के नाम पर इस तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी सामग्री परोसी जा सकती है! क्या इस बात का खयाल नहीं रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन के लिए किसी के सम्मान और संवेदना को ताक पर न रखा जाए? शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से कारोबार है। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री के विनियमन को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने को भी कहा है।

दरअसल, इसे लेकर काफी पहले से मांग उठती रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें दोराय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक और संवेदनहीन सामग्री परोसने का चलन बढ़ रहा है, उस लिहाज से जवाबदेही तय करने का पहलू भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सही है कि हास्य मनोरंजन का एक जरिया है। मगर, दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसी को बेचने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

बढते अपराध

बिहार में पिछले कुछ समय से जघन्य अपराधों के आंकड़ों और निरंतरता में जैसी तेज बढ़ोतरी हुई है, वह बताती है कि राज्य सरकार ने जितने बड़े पैमाने पर कथित सुशासन का प्रचार किया था, वह हकीकत से काफी दूर है। हाल के दिनों में राज्य में हत्या की कई घटनाएं सुर्खियों में रहीं। यह तब है, जब राज्य सरकार हर कुछ दिन बाद यह दावा करती दिखती है कि वहां जंगलराज के बाद उसने सुशासन कायम किया। सवाल है कि पिछले करीब दो दशक से सत्ता में रहने के बावजूद अगर अपराधों की बढ़ती संख्या, उसकी प्रकृति और निरंतरता पर रोक नहीं लग सकी, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालत यह है कि अब अपराधियों के निशाने पर बच्चे भी आने लगे हैं। इसी महीने की शुरुआत में पटना के जानीपुर इलाके में दो बच्चों को जला कर मार डाला गया था। अब बीते पंद्रह अगस्त को भी पटना के इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चे घर से खेलते–कूदते ट्यूशन के लिए निकले और बाद में सड़क किनारे खड़ी कार में दोनों के शव मिले। सवाल है कि यह किस तरह का सुशासन है कि न तो अपराधों पर लगाम लग पा रही है, न ही अपराध हो जाने के बाद पुलिस कुछ कर पा रही है। इंद्रपुरी में दो बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस को जहां सक्रिय होकर जल्द से जल्द मामले को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहीं वह अब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। नतीजतन, वहां सोमवार को सरकार और पुलिस के रुख से भड़के लोगों की भीड़ अराजक हो गई और उसने पुलिस के वाहन को भी आग के हवाले कर दिया।

निश्चित रूप से लोगों का इस तरह हिंसक हो जाना समस्या के समाधान के रास्ते को बाधित करता है, मगर सवाल है कि आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद तभी क्यों खुलती है, जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है। अफसोसनाक यह है कि अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं राज्य की सरकार और पुलिस मानो लाचार खड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है। सवाल है कि सरकार क्या अपराधों की ऐसी ही तस्वीर के साथ जनता से समर्थन की उम्मीद कर रही है!

भ्रष्ट राजनीति पर कैसे हो नैतिक नियंत्रण

–विश्वनाथ सचदेव–

राजनीति में शुचिता की बात अवश्य करेंगे राजनेता, पर उनकी करनी इसके विपरीत ही होगी। इसलिए, यह दायित्व जागरूक नागरिक का बनता है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं के खिलाफ एक सतत मुहिम चलाये। लब्धप्रतिष्ठ रूसी साहित्यकार सोलजेनित्सिन ने कहीं लिखा था, 'हम जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, वे जानते हैं कि हम जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं... लेकिन वे फिर भी झूठ बोलते रहते हैं'– इस वाक्य में 'वे' की जगह हमारे राजनेता लिख दिया जाये और 'हम' की जगह भारत की जनता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आये दिन हम अपने नेताओं के झूठ सुनते रहते हैं और ऐसा हर झूठ बोलकर हमारे नेता यह समझते हैं कि उन्होंने हमें यानी देश के मतदाताओं को मूर्ख बना लिया है। इसका ताजा उदाहरण है संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन के पटल पर रखा गया संविधान संशोधन विधेयक। तीखी बहस और हंगामे के बीच यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा चुका है। समिति कब और क्या सिफारिश देगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर सिफारिश कुछ भी हो, संसद में वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह तय है कि बिना दो तिहाई बहुमत के ऐसा कोई संशोधन लागू नहीं हो सकता। तो फिर यह विधेयक सदन में क्यों रखा गया है? इसका एक स्पष्ट उत्तर तो यही है कि देश में निकट भविष्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए सत्तारूढ़ पक्ष महत्वपूर्ण, और उसके लिए परेशान करने वाले, मुद्दों से मतदाता का ध्यान बंटा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं की प्रस्तावित संशोधन आकर्षक भी है और महत्वपूर्ण भी। इसके अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रियों समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों–मंत्रियों को यदि किसी ऐसे आरोप में तीस दिन से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ता है तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया जायेगा। आकर्षक लगता है यह प्रस्ताव। एक हद तक जरूरी भी। कौन नहीं स्वीकारेगा कि भ्रष्टाचारियों को मंत्री–पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यह भी एक हकीकत है कि हमारे देश में ऐसे राजनेताओं की कोई कमी नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप हैं। ऐसे में, संविधान में संशोधन का जो विधेयक सरकार ने पटल पर रखा है उसका स्वागत होना चाहिए।

लेकिन सवाल उठता है कि आरोप लगना मात्र ही किसी को कथित अपराध की सजा देने का आधार कैसे बन सकता है? कोई भी आरोपी तब तक सजा का पात्र नहीं होता जब तक अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता, आरोप भले ही कितना ही गंभीर क्यों न हो, जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता, अपराध नहीं कहलाता। तो फिर सजा कैसे दी जा सकती है? लेकिन यहीं यह सवाल भी उठता है यदि आरोपों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती तो क्या मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को यह अवसर और अधिकार मिलना चाहिए कि वे जेल में बैठकर भी सरकार चलाते रहें? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हमारे सामने है, महीनों तक वे जेल में रहेदृ और जेल से ही सरकार चलाने की बातें भी कहते रहे!

तो फिर क्या किया जाये? जितना आसान लगता है यह प्रश्न, उत्तर उतना ही कठिन लगता है। प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार तीस दिन तक हिरासत में रहता है, जिसके लिए पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो वह पद पर नहीं बना रह सकता। लेकिन तब क्या होगा यदि न्यायालय उसे निरपराध घोषित कर देता है? विधेयक के समर्थक उत्तर में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान होने का तर्क रखते हैं! वे कहते हैं विधेयक शासन को संदेह से मुक्त रखने की प्रारंभिक प्राथमिकता ही तय करता है। लेकिन इस सवाल का क्या जवाब है कि इकत्तीसवें दिन स्वतरू ही सजा मिल जाने को कानून का शासन कैसे कहा जा सकता है? यह सब देखते हुए ही इस तरह का संशय किया जा रहा है कि यह कार्रवाई गंभीर मुद्दों से ध्यान बांटने और चुनावी हितों को ध्यान में रख कर की गयी है। बहरहाल, मामला गंभीर है। भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट राजनेताओं से मुक्ति का कोई उपाय तो खोजना ही होगा। हमारे यहां राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक जमाने में राजनेता आपराधिक वर्गों का सहयोग लिया करते थे, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। फिर सहयोग देने वालों को लगा, वे किसी को चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं तो स्वयं राजनीति में क्यों नहीं उतर सकते?

इस सोच का नतीजा सामने है। चुनाव अधिकार संस्था (ए.डी.आर) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के तीस मुख्यमंत्रियों में से 40 प्रतिशत ने पिछले चुनाव नामांकन–पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सर्वाधिक 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आंध्र–प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 19 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैय्या पर 13 मामले चल रहे हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5, महाराष्ट्र के फड़नवीस पर चार, हिमाचल के मुख्यमंत्री पर चार और केरल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी क्रमशरू दो और एक मामले दर्ज हैं। मामले दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी अपराधी ही है। हमारी न्याय–व्यवस्था यह मानती है कि भले ही दस अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है, यदि एक भी आरोप सही है तो व्यक्ति को शासन करने का अधिकार या अवसर क्यों मिले?

किसी भी सभ्य और उत्तरदायी समाज में राजनीति का अपराधीकरण चिंता और शर्म की बात होनी चाहिए। राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की बढ़ती भागीदारी पर चिंता तो अक्सर व्यक्त की जाती है, पर इसे रोकने की कोई ईमानदार कोशिश कोई नहीं करता। सवाल नीति का नहीं, नीयत का है। इसी नीयत का परिणाम है कि गंभीर आरोपों से घिरे लोग भी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी विवशता बन जाते हैं। सवाल इस नीयत को बदलने का है। यह काम ठोस और ईमानदार कार्रवाई की मांग करता है, और हमारी राजनीति में इसका नितांत अभाव है। हमारी राजनीति के कर्ता–धर्ताओं से पूछा जाना चाहिए कि कल तक जिसे वे अपराधी घोषित करते थे, दल–बदल करते ही वह व्यक्ति ईमानदार कैसे हो जाता है? राजनेताओं की इसी करनी का परिणाम है कि राजनीति को शुद्ध करने की कोशिशों पर जनता को विश्वास नहीं होता। बात सोलजेनित्सिन की बात तक पहुंचती हैदृ राजनेता यह जानते हैं कि हम जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं... फिर भी...।

यह अपेक्षा करना कि राजनीति में शुचिता की बात करने वाले सचमुच ईमानदार बन जाएंगे एक अनहोनी बात लगती है। पर इसे संभव बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय रहने की आवश्यकता है। सजग रहने की भी। राजनीति में शुचिता की बात अवश्य करेंगे राजनेता, पर उनकी करनी इसके विपरीत ही होगी। इसलिए, यह दायित्व जागरूक नागरिक का बनता है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं के खिलाफ एक सतत मुहिम चलाये। मैं भ्रष्ट राजनेता को वोट नहीं दूंगादृ इस आशय का एक अभियान चलना चाहिए देश में। और यह अभियान चलते रहना चाहिए। लगातार। राजनीति को अपराध से मुक्त करने का यही एक तरीका है।–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जीएसटी दरों में बदलाव से क्या हासिल

–सुनील कुमार महला–

सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में बड़े बदलाव कर आम जनता को राहत देने की घोषणा की गई थी और अब इस क्रम में केंद्र सरकार को जीएसटी में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाने की राज्यों के मंत्रियों की समिति (जीओएम) से भी मंजूरी मिल गई है। कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी दरों में कटौती और जनहित में लिए गए फैसले निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए राहत लेकर आए हैं।सच तो यह है कि जब सरकार जनता की जरूरतों और महँगाई के दबाव को ध्यान में रखकर कर दरों को कम करती है, तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं के साथ–साथ व्यापारियों को भी मिलता है। बहरहाल,यह बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था।बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वाँ संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर है,जो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था तथा यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।यह भी उल्लेखनीय है कि जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। दरअसल, जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है , जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। जीएसटी का महत्व या फायदा यह है कि इससे एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है। विदेशी निवेश और 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा मिलता है।केंद्र और राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य स्थापित होता है। टैक्स चोरी हतोत्साहित होती है। टैक्स सिस्टम को निश्चितता मिलती है तथा भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। इससे निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, अधिक रोजगार पैदा होते हैं और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है ,जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होता है।बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था, जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी. यह विधेयक सर्वसम्मति से असम विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे असम जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। हाल फिलहाल, कहना गलत नहीं होगा कि जब किसी देश में जीएसटी दरें अधिक होती हैं, तो इसके कई नकारात्मक असर दिखाई देते हैं।मसलन, महंगाई बढ़ती है।ऊँची दरों से वस्तुएँ और सेवाएँ महँगी हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जब चीजें महँगी होती हैं तो लोग उनकी खरीद कम कर देते हैं और इसका असर व्यापार और उद्योग पर पड़ता है।छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ता है। दरअसल, ऊँचे टैक्स के कारण उत्पादन लागत बढ़ती है। छोटे और मझोले व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। जीएसटी अधिक होने से काला बाजारी और टैक्स चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अधिक दरें अक्सर लोगों को टैक्स से बचने के लिए अवैध रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। हालांकि, जीएसटी में वृद्धि सरकार के लिए सकारात्मक पहलू है। मसलन, जीएसटी दरों में वृद्धि से राजस्व में वृद्धि होती है। ऊँची दरों से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है, जिसका इस्तेमाल विकास और कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है। इतना ही नहीं,महँगी वस्तुओं की खपत पर नियंत्रण होता है।विलासिता की वस्तुओं (लग्जरी गुड्स) पर ऊँचे जीएसटी से उनकी खपत कम होती है, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जीएसटी दरों के अधिक होने से उपभोक्ता महँगाई का बोझ झेलते हैं, व्यापार पर असर पड़ता है, लेकिन सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। बहरहाल, जीएसटी दरों में कटौती का सरकार का यह फैसला महँगाई नियंत्रण, व्यापार सुगमता और उपभोग वृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इससे जहाँ आम नागरिकों को रोजमर्रा की वस्तुएँ सस्ती मिलेंगी, वहीं व्यापारिक जगत में मांग भी बढ़ेगी। कर संरचना सरल होने से छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत पहुँचेगी। इससे न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी नई गति आएगी। सरकार के इस निर्णय से अब लगभग 90 फीसदी वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी। हालांकि, विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी कर(महंगी कारों जैसे अल्ट्रा लग्जरी (विलासिता) उत्पादों पर 40 फीसदी के अतिरिक्त भी कर) होगा, लेकिन जीएसटी दरों में बदलाव से मध्य वर्ग, किसानों और एमएसएमई(सुक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम) को निश्चित ही बड़ी राहत मिलेगी। अच्छी बात है कि राज्यों के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब पांच और 18 फीसदी रखने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब मामले को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा, जो इस पर अंतिम फैसला करेगी। पाठकों को बताता चलूं कि जीएसटी बदलाव के बाद जिन 99 फीसदी वस्तुओं पर पहले 12 फीसदी कर लगता था, वे सभी अब 5 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फूहड हास्य

- डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा-

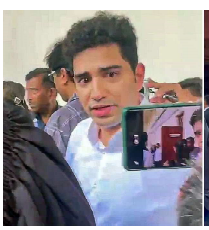

दरअसल फूहड हास्य कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रस्तुत सामग्री में मीडिया इन्फ्लूएंसरों द्वारा लोगों का बैखोफ उपहास उड़ाया जाना आम होता जा रहा है। ऐसे लोग अपने आपको समाज के विशिष्ट व्यक्ति बनने और दिखाने का प्रयास करते हैं।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की भी मजाक उड़ाना या उपहास का पात्र बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले कुछ सालों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आम होता जा रहा है। यहां तक कि स्वतंत्रता के नाम पर समाज में वैमनस्य बढ़ाना, वर्ग विशेष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना इन उपहास कर्ताओं के लिए तो सामान्य होता जा रहा है तो राजनीतिक व सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की सरकार को गाइड लाईन जारी कर सीमाओं में बांधने और इस तरह के इन्फ्लूएंसरों के खिलाफ सख्त टिप्पणी व उसी स्तर की सार्वजनिक माफी मांगने के निर्देश आवश्यक हो गए थे। हालांकि यह आदेश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी एसएमए से पीड़ित व्यक्तियों का समय रैना व अन्य द्वारा उपहास उघ्ड़ाने से संबंधित प्रकरण में दिए गए हैं। आदेश में दिव्यांगों का उपहास करने को गंभीरता से लिया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिस स्तर पर उपहास उड़ाया गया ठीक उसी स्तर पर माफी भी मांगी जाए। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि माफी की औपचारिकता से काम नहीं चलने वाला है।

व्यूअरशिप, फोलोवर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया या यों कहे कि इंटरनेटी संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी को भी उपहास का पात्र बनाना आम होता जा रहा है, उस पर लगाम की आवश्यकता लंबे समय से चली आ रही थी और ऐसे में देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची द्वारा की गई टिप्पणी ऐसे तत्वों और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल फूहड हास्य कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रस्तुत सामग्री में मीडिया इन्फ्लूएंसरों द्वारा लोगों का बैखोफ उपहास उड़ाया जाना आम होता जा रहा है। ऐसे लोग अपने आपको समाज के विशिष्ट व्यक्ति बनने और दिखाने का प्रयास करते हैं। दावा करते है कि उनके इतने फोलोवर्स है या इतने व्यूअर्स है। पर सवाल यह उठता है कि किसी की मजाक उडाने या उपहास करने का अधिकारी आपको कौन देता है। हेट स्पीच और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के दुष्परिणाम सामने हैं। छोटी सी टिप्पणी कभी कभी तो असामाजिक तत्वों के लिए अच्छा अवसर बन जाती है और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तक की सीमा तक पहुंच जाती है। मजे की बात यह है कि हेट स्पीच या ऐसी टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होते ही तथाकथित वुद्धिजीवियों की टीम सक्रिय हो जाती है।

यह तथाकथित कोमेडियन और सोशल इन्फ्लूएंसर अपनी टिप्पणियों की बदौलत व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, अपनी जेब भरते है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत टिप्पणी नहीं मानते हुए व्यावसायिक गतिविधि करार दिया है। वैसे भी सामान्य नैतिकता का सवाल भी यह उठता है कि आपकों किसी अन्य की विकलांगता या अन्य टिप्पणी को अधिकार कैसे मिल सकता है। कैसे आप किसी को उपहास का पात्र बना सकते हैं तो कैसे आप अनर्गल टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि आजकल हेट स्पीच को लेकर तो न्यायालयों में जाने का चलन बढ़ा है और यह जरुरी भी हो जाता है। सोशल मीडिया के नाम पर आप किसी की निजता पर कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं।

यह निर्णय इस मायने में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कामेडियन्स या इन्फ्लूएंसर्स द्वारा जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां आम होती जा रही है उस पर सख्त लगाम कसना जरुरी हो जाता है। यदि इसी मामलें को देखा जाए तो एक तो ऐसे व्यक्तियों के साथ वैसे ही अन्याय हुआ है और फिर उस शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाना या निशाना बनाना कहां की नेतिकता हो सकती है। इसके अलावा इंस्ट्राग्राम, वाट्सएप इसी तरह के सोशल मीडिया साइट पर अनर्गल टिप्पणियां या किसी घटना विशेष पर इस तरह की प्रतिक्रिया देकर तनाव के हालात पैदा कर देना या इसी तरह के हालात पैदा करने से आपका शौक तो पूरा हो जाता है पर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सीमाओं में बांधना जरुरी हो जाता है। शहरों में आए दिन दंगे तनाव के हालात बनना आम होता जा रहा है। न्यायालय की टिप्पणी के मध्येनजर सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालकों को भी इस तरह की टिप्पणियों या सामग्री को फिल्टर करने आगे आना चाहिए। अभी तो होता यह है कि चाहे किसी भी तरह की रील हो यदि उसकी व्यूअरशिप ठीक आ जाती है तो कमाई का माध्यम बन जाती है जबकि होना यह चाहिए कि ऐसे इन्फ्लूएंसरों पर सख्ती होने के साथ ही साथ इस तरह की टिप्पणी या रील उसी व्यक्ति द्वारा करने पर ऐसे अकांउट को ब्लेक लिस्ट करते हुए ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कर दिया है। देर सबेर सरकार भी गाइडलाइन जारी कर देगी। हो सकता है सख्त प्रावधान भी कर दे पर समस्या का समाधान आसानी से होता लगता नहीं हैं। ऐसे में आम आदमी को भी आगे आना होगा तो गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनओं और खासतौर से तथाकथित वुद्धिजीवियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना होगा तभी कामेडियनों और सोशल इन्फ्लूएंसरों पर प्रभावी रोक संभव हो सकेगी। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर फूटा थानेदार का गुस्सा

संवाददाता–महराजगंज। कोठीभार थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर भड़के थानेदार ध मेंद्र सिंह का गुस्सा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक के दौरान उनका एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते सुने जा रहे हैं–'ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। दो मिनट लगेगा सबको सही करने में।' हालांकि 'भारतीय बस्ती वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मिली जानकारी के अनुसार यह विवाद कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम बिसोखोर के एक मंदिर से जुड़ा है। जहां हर तीन साल पर धार्मिक कथा और पूजा–पाठ का आयोजन होता है। मंगलवार को आयोजन के लिए चंदा जुटाने के दौरान गांव में विवाद हुआ था। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ईसाई मिशनरियों पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे।

इस दौरान कार्यकर्ताओं और थानेदार धर्मेंद्र सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर थानेदार गुस्से में आ गए और उन्होंने नौकरी छोड़ने तक की बात कह डाली। वीडियो में पुलिसकर्मी कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना के बाद वीडियो वायरल हो गया है और इलाके में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, ग्रामीणों ने भी इस मामले में तहरीर देकर पूजा–पाठ में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। थाने से बाहर निकलने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थानेदार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने क्षेत्र में धर्मांतरण होने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई की बजाए पुलिस उल्टे उन पर ही दबाव बना रही है। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना है कि थाने में कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन किया वो कहीं से भी उचित नहीं था। बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धर्मांतरण के कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

42 मुख्य सेविकाओं को मिला नियुक्ति पत्र राज्यमंत्री और विधायक ने किया सम्मान

संवाददाता–देवरिया। बुधवार को 42 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया गया। देवरिया के कार्यक्रम में ग्राम्य विकास राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल मौजूद रहीं। राज्यमंत्री गौतम ने सेविकाओं से कहा कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।

सदर विधायक ने सेविकाओं से लगन और निष्ठा से काम करने की अपील की। जिलाधिकारी मित्तल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को बिना भेदभाव के बेहतर सेवाएं दी जाएं।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि राजू मणि समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मत्स्य अधिकारी विजय कुमार मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया।

हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में कूटे जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य –महंत राजूदास

संवाददाता–गोण्डा। शहर के गोनार्द लॉन में युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह मदौरिया की बेटी के जन्मदिन पर 11 गरीब कन्याओं को गोद लिए जाने के कार्यक्रम में मंगलवार की रात गोंडा पहुंचे अयोध्या के महंत राजू दास ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण में कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल है। वह किसी का नहीं हो सकता है। वो हर गली में, हर कूचे में और हर मोहल्ले में कूटे जाएंगे और पीटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की पहचान भारत से है। सनातन पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। सनातन सिखाता है धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। स्वामी प्रसाद ही नहीं स्वामी प्रसाद जैसे तमाम लोग हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुद को ब्राह्मण बताए जाने को लेकर निशाना साधा और कहा कि देखिए राहुल गांधी अभी अयोध्या के राम मंदिर नहीं आए। सनातन की बात आती है तो हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं। सनातनियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी शुद्ध रूप से कुर्सी के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उनको पता नहीं। विश्वपटल पर जिस तरीके से वह भारत की बदनामी का प्रयास करते हैं वह शर्मनाक है।

दो नई मुख्य सेविकाओं को विधायक और डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र

संवाददाता–श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 2425 मुख्य सेविकाओं की भर्ती की है। वहीं इनमें श्रावस्ती को दो पद मिले हैं। दरअसल जानकारी के मतलब श्रावस्ती के मुख्यालय मिनगा कलेक्ट्रेट के एनआईसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्र, विधायक रामफेरन पाण्डेय और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मुख्य सेविका चेतना जायसवाल और शालिनी शुक्ला को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी मौजूद जनप्रतिनिधि ा और सभी के द्वारा देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्रा ने कहा कि सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही है। नई मुख्य सेविकाएं नवजात शिशुओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। विधायक ने कहा कि पारदर्शी चयन से आंगनबाड़ी सेवाओं का संचालन बेहतर होगा। डीएम ने नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं से सेवाभाव से काम करने और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया।

जिला सहकारी संघ के पूर्व डायरेक्टर का निधन

संवाददाता–देवरिया। जिला सहकारी संघ के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व प्रधान हरिहर यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। गौरीबाजार के भटौली खुर्द निवासी पूर्व प्रधान हरिहर यादव (55) पुत्र स्व. सिंघासन यादव की तबीयत खराब होने पर मंगलवार की रात गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार तड़के उनका निधन हो गया। उनके निधन पर सपा नेता रामप्यारे यादव, नंदलाल यादव पूर्व प्रधान, चंद्रपाल यादव, मुन्ना यादव, परमहंस, संजय, अखिलेश , रामसकल यादव, कर्मवीर सिंह सोलंकी, भवनाथ यादव, ओमप्रकाश, रमाशंकर यादव, अंगद यादव, शेर सिंह, रामबदन यादव, अदालत यादव, गोपी यादव, सागर, शिक्षक राजकिशोर सिंह ने शोक जताया है।

चाइनीज लोन ऐप से करोड़ों की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार, 112 करोड़ का लेनदेन और 85 बैंक खातों का खुलासा

संवाददाता–बलरामपुर। साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने सस्पियर की बाइनेंस आइडी पर रुपये भेजने वाले आरोपित सौरभ को बुधवार को गिरफ्तार किया है। सौरभ कुमार निवासी ग्राम सिरसा खास थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद (हाल का पता 145–ए सेक्टर–एम आशियाना लखनऊ) के मोबाइल में मिले आडियो से सस्पियर की आइडी में रुपये के लेनदेन की पुष्टि हुई है। अब तक पुलिस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह सभी चीन के लोनिंग एप के माध्यम से आम लोगों को फंसाकर ठगी के करोड़ों रुपये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर विदेशी नेटवर्क तक पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना सस्पियर जो बाइनेंस आइडी चलाता था, उससे सौरभ की बाइनेंस आइडी से रुपये के लेनदेन किया गया है। सौरभ ने बताया कि वह पहले से गिरफ्तार हुए निर्मल का साथी है। उसके साथ मिलकर आनलाइन गेमिंग, बेटिंग, सट्टा एप फ्राड से संबंधित कार्य करता था। इसमें फर्जी फर्म का करेंट अकाउंट, जिसकी प्रतिदिन लेनदेन की लिमिट लाखों में हो, वाट्सएप और टेलीग्राम एप के माध्यम से साइबर फ्राडस्टर एजेंटों से संपर्क कर प्राप्त करता था। आनलाइन गेमिंग, बेटिंग एप से प्राप्त धनराशि के सेटलमेंट के लिए कुछ गेमिंग एप जैसे शार्प–पे, सुपर–पे, ब्रो–पे आदि से जुड़े एजेंटों को उपलब्ध कराता था। आनलाइन बेटिंग एप से प्राप्त होने वाले लाभांश एवं गेमिंग एप से सरकार को प्राप्त होने वाले टैक्स की धनराशि को अवैध तरीके से प्राप्त कर धनार्जन किया जाता है।

सौरभ ने बताया कि इस कार्य के लिए उन लोगों को कुल लेनदेन की धनराशि का दो से तीन प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। जब उन बैंक खातों पर कोई शिकायत दर्ज होती है या बैंक द्वारा खातों को फ्रीज कर दिया जाता है, तो वह लोग उसी तरह नए बैंक अकाउंट प्राप्त कर साइबर फ्राड करते हैं। इसके अतिरिक्त बाइनेंस व अन्य क्रिप्टो वालेट के माध्य से फ्राड में जो भी ध नराशि प्राप्त होती थी, उसमें से अपना कमीशन काटकर समस्त ध नराशि देश–विदश में बैठे साइबर फ्राडस्टर्स के भेज दिया जाता था। सौरभ से पहले गिरफ्तार निर्मल व अनिरुद्ध की जो बाइनेंस आइडी बनवाकर सस्पियर को उलब्ध कराई गई थी, उससे लेनदेन करते थे।

एसपी ने बताया कि सौरभ के मोबाइल में मिले साक्ष्यों में सामने आया है कि वह फोन पर कई महिलाओं के साथ अश्लील बातें करता था। मोबाइल में यह समझौता पत्र भी मिला है, जिसमें साथ रहने के बाद भी कभी शादी का दबाव न बनाने व कार्रवाई न करने का जिक्र है। साथ ही मोबाइल में दो फर्जी आधार भी पाए गए हैं, जिनमें से एक सौरभ कुमार व दूसरा सौरभ सिंघानिया के नाम पर है

गंडक नदी से मिला अज्ञात शव

संवाददाता–देवरिया। जिले के सहोदर पट्टी–चकदेईया पुल के पास गंडक नदी में बुधवार दोपहर एक अज्ञात शव मिला। स्थानीय लोगों ने नदी में तैरते शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया। मृतक की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच अनुमानित की गई है। शव पर हल्के कपड़े थे। कोई पहचान पत्र या अन्य सामान नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव कई दिनों पुराना लग रहा था।

पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। पड़ोसी जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे हैं। कुछ हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई शव की पहचान कर सके तो नजदीकी थाने में सूचना दें।

गांव में उल्टी–दस्त से दो की मौत, कई बीमार

संवाददाता–बलरामपुर। जिले के हरैया सतघरवा क्षेत्र के गौरामाफी गांव में पिछले एक सप्ताह से फैली बीमारी ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। उल्टी–दस्त की चपेट में आकर गांव के बढ़कने (36) पुत्र घिड़िहावन और प्रियंका (3) पुत्री अशोक कुमार की मौत हो गई है। वहीं, मोहित (1) पुत्र भैयाराम की हालत नाजुक बनी हुई है। जिनका इलाज सीएचसी तुलसीपुर में चल रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि उल्टी दस्त से लोग पीड़ित थे। ग्रामीण डायरिया होने से मौत बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस बीमारी से मौत माना। गांव के निवासी मनोज कुमार पासवान ने बताया कि अनौप (4), विकास (12), घिराऊ (40), मुरली (45), भानुदत्त (38), मोहित (16), शिवांगी (20), तुलसीराम (22), मनोज कुमार (36) और ननकुन (21) समेत करीब एक दर्जन लोग अभी भी बीमार हैं। गांव में बीमारी फैलने से लोगों में दहशत का माहौल है। सीएचसी तुलसीपुर के अधीक्षक डॉ. विकल्प मिश्र मेडिकल टीम के साथ गांव पहुंचे और लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौतें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस बीमारी के कारण हुई हैं।

व्यापारी के ऑफिस से 3.95 लाख की चोरी का खुलासा, ड्राइवर निकला चोर, भाई के साथ मिलकर की वारदात

संवाददाता–बहराइच। वजीरबाग मोहल्ले में रिफाइंड और तेल के थोक व्यापारी सतीश माहेश्वरी के प्रतिष्ठान से तीन दिन पहले चोरी हुई थी। चोरों ने गल्ले का ताला तोड़कर 3 लाख 95 हजार रुपये की नगदी चुरा ली थी। नगर कोतवाली पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने व्यापारी के ड्राइवर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाह ने बताया कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। नगर कोतवाल राकेश सिंह और चौकी प्रभारी सुरेंद्र बौद्ध की टीम लगातार जांच कर रही थी। जांच में व्यापारी के ड्राइवर देवानंद श्रीवास्तव की भूमिका संदिग्ध ा लगी। पूछताछ में उसने अपने भाई के साथ चोरी करना कबूल कर लिया। देवानंद श्रावस्ती का रहने वाला है और पिछले तीन साल से व्यापारी के यहां काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, देवानंद लेन–देन भी देखता था। उसे गल्ले की एक चाबी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल कर उसने चोरी की। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

बुजुर्ग महिला पर किया हमला चेहरा नोचा, मेडिकल कॉलेज रेफर

संवाददाता–गोण्डा। जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गुलहरिया सेल्हरी मंडफ में एक आवारा कुत्ते के जानलेवा हमले से 50 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना तब हुई जब महिला अपने घर के पास मौजूद थी। तभी अचानक एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके चेहरे पर बुरी तरह से काट लिया। हमले के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग तुरंत उन्हें इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटरा बाजार ले गए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते परिजन। फिलहाल, महिला का इलाज गोंडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायल महिला के बेटे ने बताया कि उनकी मां पर एक कुत्ते ने हमला किया है। गांव के लोगों ने बताया कि कुत्ता पागल था, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। बेटे ने बताया कि उसने मेरी मां के चेहरे पर हमला किया है। हम उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुत्ता पागल था या नहीं, यह अभी पक्का नहीं है। वहीं गोंडा मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एक महिला हमारे यहां भर्ती है जिसे आवारा कुत्ते ने काटा है। वह घायल हैं। फिलहाल उसकी हालत खतरे के बाहर है उसे होश आ गया है।

महुआपाटन गांव तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में लगी आग

संवाददाता–देवरिया। स्थानीय विद्युत उपकेंद्र के महुआपाटन गांव में पश्चिम तरफ नहर के पास लगे एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में बुधवार की दोपहर में अचानक तेज आवाज के साथ भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा–तफरी और चीख–पुकार मच गई एल गांव के लोग इस घटना को देखकर सहम गए। आसपास के लोगों ने तत्काल फोन कर उपकेंद्र पर इसकी सूचना दी। बिजली कर्मियों ने आपूर्ति को बाधित किया, इसके बाद काफी देर बाद आग बुझी और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बड़ा हादसा होते–होते टल गया। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। महुआपाटन गांव के प्रधान हीरालाल गुप्ता, पूर्व प्रधान भगवान जायसवाल, राम बृक्ष प्रसाद, जिउत प्रसाद मिश्र, सुखल प्रसाद, हरेंद्र कुशवाहा, सतीश जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल, शैलेंद्र मिश्रा, पवन जायसवाल, अजय जायसवाल आदि ग्रामीणों का आरोप है कि चार–पांच दिन से ट्रांसफार्मर खराब होने से आधे से अधिक गांव के उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। लगभग दो हजार आबादी समेत बाजार में अंधेरा छाया हुआ है। ट्रांसफार्मर से लगातार तेल का रिसाव हो रहा था। जिसकी सूचना अवर अभियंता लवलेश सिंह सहित अन्य बिजली कर्मियों को दे दी गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार को गांव के लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर काफी आग्रह किया तो जेई की पहल के बाद ग्रामीण जिले पर निगम के स्टोर पर पहुंचे और वहां से तेल लाए। देर शाम को लाइन मैनों ने मौके पर पहुंचकर ट्रांसफार्मर में ड्रिल मशीन से सुराग लगा कर तेल डालने का कार्य किया। लेकिन इसके बाद भी आपूर्ति चालू नहीं हुई। बुधवार को दोपहर में अचानक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। कुछ समय बाद ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुआं और आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर ग्रामीणों में अफरा–तफरी मच गई। लोगों में चीख–पुकार मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग चीखते–चिल्लाते हुए मौके से भागने लगे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निगम के अधिकारी ट्रांसफार्मर की मरम्मत या उसको बदलकर दूसरा ट्रांसफार्मर लगवा देते तो शायद हादसा नहीं होता।

जेई लवलेश सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिलते ही बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। जल्दी ही ट्रांसफॉर्मर को बदल कर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

शिक्षिका वंदना पटेल को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार

संवाददाता–गोण्डा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले से एकमात्र शिक्षिका वंदना पटेल को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 के लिए चुना है। वंदना नवाबगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महेशपुर में प्रधानाध्यापक हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति ने उनके आवेदन को मंजूर किया है। आगामी 5 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह उन्हें सम्मानित करेंगे। वंदना पटेल ने अपने विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके प्रयासों से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति शत–प्रतिशत रहती है। विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है। विद्यालय का संचालन स्वच्छता के साथ होता है। नियमित रूप से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों को प्रेरित किया जाता है। कई जगहों पर हुए बच्चों की प्रतियोगिताओं में महेशपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अच्छा उत्कृष्ट कर भी किया है। वहीं अटेवा गोंडा जिला अध्यक्ष अमर यादव, विशिष्ट बीटीसी संगठन के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह समेत कई शिक्षकों ने सोशल मीडिया और फोन पर बधाई दी है। वंदना पटेल ने दैनिक भास्कर संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि यह पुरस्कार गोंडा के सभी शिक्षकों का सम्मान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया और कहा कि यह उनके परिवार और सभी अध्यापकों के लिए गर्व की बात है।

37 मुख्य सेविकाओं को मिले नियुक्ति पत्र

संवाददाता–गोण्डा। जिले के जिला पंचायत सभागार में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 37 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चुअल संबोधन हुआ। नियुक्ति पत्रों का वितरण करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह, गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडेय और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने किया। नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया और समाज में बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य सेविकाओं के साथ महिला कर्मचारी भी काम करेंगी। विभाग और वह स्वयं सभी कार्यों की निगरानी करेंगी। कार्यक्रम में विधायक अजय सिंह ने सरकार की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की सराहना की। यूरिया खाद की उपलब्धता पर विपक्षी नेता अखिलेश यादव के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वे लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।

रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

संवाददाता–कुशीनगर। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सिंगरा हसनगंज रेलवे ट्रैक के पास 18 वर्षीय युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान बौलिया गांव के रहने वाले गजाधर के पुत्र सत्यम के रूप में हुई है। घटना बुधवार की है। सत्यम अपनी बहन के घर गया था। मंगलवार शाम को वह घर लौटने के लिए निकला था। लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। अगली सुबह कप्तानगंज–घुघुली रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। मृतक की बहन राधिका ने बताया कि उनका भाई शाम को ही घर के लिए निकल गया था। शव की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

जिला अस्पताल में जच्चा–बच्चा की मौत समय पर खून न मिलने से टूटा दम

संवाददाता–कुशीनगर। जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। कसया नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की रहने वाली शबनम की बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। परिजन पहले उन्हें कसया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टर नहीं मिलने पर जिला अस्पताल के एल–2 वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला के शरीर में खून की भारी कमी है। नौ महीने की गर्भावस्था के दौरान परिजनों ने कोई जांच नहीं कराई थी। डॉक्टरों ने तुरंत रक्त चढ़ाने की सलाह दी। परिजन खून की व्यवस्था करने गए, लेकिन लौटने से पहले ही शबनम की मौत हो गई। मृतका का पहले दो बार ऑपरेशन हो चुका था और उनका एक 8 वर्षीय बेटा भी है। `डिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि प्रसूता की बच्चेदानी फट चुकी थी। उनके अनुसार, अगर कसया सीएचसी में समय पर ऑपरेशन हुआ होता, तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी।

जांच में सामने आया कि महिला के पति विदेश में हैं। सास–ससुर ने भी समय पर जरूरी जांच नहीं कराई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर. के. शाही ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

राम मंदिर निर्माण की पक्षधर रही कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो पाया संभव –प्रमोद तिवारी

संवाददाता–अयोध्या। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा–अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अयोध्या राज परिवार के मुखिया और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रहे दिवंगत बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर राज सदन में उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत के दौरान प्रमोद तिवारी ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। तिवारी ने कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। भाजपा हमेशा इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा स्पष्ट रही है, कांग्रेस शुरू से ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की पक्षधर रही है। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से संभव हो पाया है, इसलिए इसके लिए हम कोर्ट के आभारी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए तिवारी ने जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने करारा हमला बोला। तिवारी ने कहा कि शाह भले ही देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बी. सुदर्शन रेड्डी पर दिया गया उनका बयान कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की सरकार 11 साल से सत्ता में है, अगर कोई समीक्षा करनी थी तो पहले क्यों नहीं की, अब अचानक इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर भी प्रमोद तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआरआई सिस्टम लोकतंत्र खत्म करने और वोट की चोरी के लिए बनाया गया है। तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए हैं और फर्जी मतदाता जोड़ने का भी खेल हुआ है।

स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, रौंदा, मौत

संवाददाता–गोरखपुर। क्षेत्र के राम–जानकी मार्ग पर टेढ़िया बंधे के पास 11 वीं की छात्रा रागिनी निषाद की तेज रफ्तार से जा रही गिट्टी लदी अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के मुहाल जलकर के महराजगंज टोला निवासी विनोद निषाद की 16 वर्षीय पुत्री रागिनी निषाद बुधवार की सुबह साढ़े सात बजे घर से साइकिल से बड़हलगंज स्थित शबनम मेमोरियल स्कूल जा रही थी। तभी राम–जानकी मार्ग पर टेढ़िया बंधे के पास बड़हलगंज की तरफ से जा रही तेज रफ्तार से जा रही गिट्टी लदी ट्रक ने अपना नियंत्रण खोते हुए सामने की तरफ से छात्रा को रौंद दिया। हादसे के बाद चालक मौके पर ही ट्रक को छोड़कर मौके से भाग निकला। घटना से थोड़ी दूरी पर ही राम–जानकी मार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मौके पर मौजूद पोकलेन मशीन से गिट्टी लदी ट्रक को सड़क किनारे पलटा कर घायल छात्रा को बाहर निकाला गया। उसके कमर से नीचे दोनों पैर पूरी तरह कुचल गए थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया।

भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू: सपा सांसद बोले, ये हमारी संप्रभुता पर हमला, अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा असर

संवाददाता–अयोध्या। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ आज यानी 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले माल पर लगने वाला कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। अमेरिका के इस निर्णय पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूरी तरह सक्षम है। टैरिफ चाहे 50 फीसदी हो या 100 फीसदी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ट्रंप की बयानबाजी को लेकर संसद में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। अच्छा होता कि सरकार ट्रंप को चेतावनी देती पर पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से भारत के प्रतिस्पर्धियों की स्थिति कम टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में बेहतर होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार को बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, अन्यथा न सिर्फ देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य भी प्रभावित होगा।

पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षक के वापस कराए 13.87 लाख रुपये

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रिटायर्ड शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजी के मामले में पीड़ित को राहत मिली है। खुद को एनआईए का अधिकारी बताकर उनसे 14 लाख रुपये ठग लिए गए थे। साइबर क्राइम पुलिस ने पीड़ित के 13.87 लाख रुपये वापस करवा दिए हैं। पुलिस ने संबंधित बैंक से पत्राचार कर भेजी गई रकम को खाते में होल्ड करा दिया था जिससे वह वापस मिल गई। मंगलवार को पीड़ित ने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मिलकर पुलिस टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जानकारी के मुताबिक, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले इंद्रजीत शुक्ल रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया था कि 27 जुलाई को अपराह्न तीन बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल की। उसने कहा–एनआईए का अधिकारी बोल रहा हूं। तुम पाकिस्तानी आतंकवादियों से बात करते हो। आतंकवादियों से रुपये की लेन–देन भी करते हो। तुम्हें 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। जांच होगी। यह सुनकर वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा–आपको गलतफहमी हो गई है। इतना सुनते ही कॉल करने वाला उन्हें डांटने लगा। कहा– समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं।

रामनगरी को मिली बड़ी सौगात, अब अयोध्या से वाराणसी तक दौड़ेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस

संवाददाता–अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगात मिली है। अब अयोध्या से वाराणसी तक एक और वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अब तक मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी उसे आगे बढ़ाकर अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी आने–जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी व तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

बुधवार को जब ट्रेन वापस वाराणसी से अयोध्या धाम स्टेशन पहुंची तो वहां माहौल बेहद उत्साहजनक रहा। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान और भाजपा के महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और इस नई सौगात को ऐतिहासिक बताया।

इस मौके पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद कर दी गई थीं, उन्हें पुनः शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट के बीच स्थित आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन को फिर से चालू करने की मांग उठाई। सांसद ने यह भी कहा कि अयोध्या धाम में ट्रेनों का ठहराव बहुत सीमित है, जिससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को असुविधा होती है। इस ठहराव को बढ़ाने के लिए वे रेल मंत्री से वार्ता करेंगे।

नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से अयोध्या–वाराणसी रूट पर यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें तेज, सुरक्षित व आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इन दोनों शहरों के बीच यह ट्रेन पर्यटन को भी नया आयाम देने जा रही है। अयोध्या और वाराणसी के बीच यह आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को और गति देगी।

राम मंदिर परिसर में गणपति पूजन का हुआ आयोजन

संवाददाता–अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बुधवार को गणेश चतुर्थी पर विशेष आयोजन हुआ। नवनिर्मित गणेश मंदिर में भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन किया गया। नवनिर्मित मंदिर में पहली गणेश चतुर्थी है जिसे लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। इसी पावन अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आज ही लगभग चार किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। पूजन–अनुष्ठान और दीवार निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, निर्माण एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और कई गणमान्य मौजूद थे।

युवक ने तहसील में किया आत्मदाह का प्रयास

संवाददाता–संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील परिसर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। बेलहर थाना क्षेत्र के भगौसा निवासी रिकू पासवान ने न्याय न मिलने से यह कदम उठाने का प्रयास किया। रिकू का आरोप है कि भगौसा चौराहे पर उसके पिता की जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार–बार शिकायत के बावजूद लेखपाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाने का प्रयास किया।तहसीलदार अल्पिका वर्मा राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन के साथ पीड़ित के घर पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों को समझा–बुझाकर शांति बनाए रखने का आग्रह किया। विपक्षी पक्ष की गौतम देवी का कहना है कि विवादित जमीन पुराने बैनामे के आधार पर उनके पास है। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।मेंहदावल एसडीएम ने आत्मदाह की कोशिश की घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि पीड़ित ने केवल प्रशासन को डराने की कोशिश की है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–57/2024
कमल सिंह
बनाम
विजय पाल आदि

1. विजय पाल पुत्र राम सिंह 2. शेषपाल पुत्र रामसिंह 3. तारा सिंह पुत्र रामसिंह निवासीगण ग्राम पिपरा तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 16–09–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 25 माह 08 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान द्वितीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–585/2024
श्रीमती पुष्पा सिंह आदि
बनाम
विकास सिंह आदि

1. विकास सिंह 2. चित्रसेन सिंह पुत्रगण रामपाल सिंह निवासीगण मौजा पचरौलिया पोस्ट अजगैवा जंगल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती 3. दशरथ पाण्डेय पुत्र मातादीन पाण्डेय निवासी मौजा सिकन्दरपुर पोस्ट सिकन्दरपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 4. सत्य प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी मौजा पचरौलिया पोस्ट अजगैवा जंगल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती –प्रतिवादी द्वितीय वर्ग 5. श्रीमती राधा सिंह पत्नी श्याम बहादुर सिंह निवासी मौजा डुहवा पोस्ट वो तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 06–09–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय–श्रीमान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण सि0 अपील सं0– 40/2025
चमेली देवी
बनाम
चरन सिंह आदि

1. चरन सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र इन्द्रपाल वर्मा 2. सुनीता उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी रामकरन 3. रामकरन उम्र लगभग 38 वर्ष 4. राम बरन उम्र लगभग 35 वर्ष 5. प्रमोद उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण कल्पनाथ 6. पुष्पा उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी रामबरन 7. मधुरी उम्र लगभग 26 वर्ष पत्नी प्रमोद 8. मोहित उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण मौजा सिकरा बरगाह तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील बस्ती जिला बस्ती 9. अभिजीत सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र अज्ञात हाल मु0 थाना मुण्डेरवा तहसील व जिला बस्ती –रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग
10. श्रीमती लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्री रामकिशोर साकिन मौजा सिकरा बरगाह तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील बस्ती जिला बस्ती –रेस्पान्डेन्ट द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 19–09–2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 09 के 19 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 25 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

जो0च0 आकार पत्र 6–क [(नियम–26 (3)]
नोटिस
[धारा –9 क (2) के अधीन]
पुस्तक संख्या. नियम 109 क्रम संख्या. ....
वाद संख्या..........
न्यायालय– सी0ओ0 सोनूपार जिला बस्ती

देवेन्द्र बनाम सरकार

1. श्याम सुन्दर 2. प्रदीप कुमार 3. चन्द्र मोहन पुत्रगण सन्तराम निवासीगण ओठघनपुर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे सामने भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व संयुक्त दोनों का विभाजन और गाटों, पेड़ो, कूंओ तथा अन्य समुन्नितयों के मूल्य का अवधारण करने के लिये एक वाद रजिस्टर तैयार किया गया है। आपको एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि 29–08–2025 को सी0ओ0 सोनूपार में 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या यथावत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो। यदि आप उपस्थित न होंगे तो विवाद आपकी अनुपस्थिति में निर्णीत कर दिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर से दिनांक 01–08–2025 को जारी किया गया।

चकबन्दी अधिकारी
सहायक चकबन्दी अधिकारी
मण्डल (सर्किल)....

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 89/2025
सुशीला–सायल

1. सुशीला उम्र लगभग 35 साल पत्नी बाबूलाल ग्राम पड़री पोस्ट महुआर तप्पा थाना वो तहसील रूधौली परगना मगहर पश्चिम जिला बस्ती

तारीख पेशी 06–10–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (ज0डि0) खलीलाबाद बस्ती बतारीख पेशी 06–10–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–1005/2023
नरेन्द्र कुमार वर्मा आदि
बनाम
विकास वर्मा आदि

1. विकास वर्मा उम्र लगभग 44 वर्ष 2. प्रकाश वर्मा उम्र लगभग 39 वर्ष 3. निखिल वर्मा उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्रगण स्व0 वीरेन्द्र कुमार वर्मा निवासीगण ग्राम खजुहा तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया पोस्ट कप्तानगंज जिल बस्ती पिन 272131

तारीख पेशी 04–10–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 10 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 T 202317140309433
धारा 116 उ0प्र0रा0 सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायिक बस्ती जिला–बस्ती
हैदर अली आदि
बनाम
असगर अली आदि
बावत ग्राम निरंजनपुर तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

1. असगर अली पुत्र रहमुल्लाह साकिन मौजा निरंजनपुर तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती –प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. गांव पंचायत निरंजनपुर तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती द्वारा गांव पंचायत प्रधान –प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 06–09–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 06 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 22 माह 08 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–382/2025
हरीराम मिश्र आदि
बनाम
जयशंकर आदि

1. जयशंकर उम्र 66 साल पुत्र राजमन 2. वेद प्रकाश उम्र 52 वर्ष 3. अमित कुमार उम्र 48 वर्ष पुत्रगण हृदयराम 4. विवेक कुमार उम्र 48 वर्ष पुत्र रामसागर साकिनान गाना तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 17–10–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 17 माह 10 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–7734/2023
कं0 वाद सं0 T 202317140307734
अदालत– श्रीमान नायब तहसीलदार सदर बस्ती जिला–बस्ती
रामसजन आदि
बनाम
खेदू
दा0खा0 बावत ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

1. रामसजन 2. नितराम पुत्रगण रामकृपाल साकिनान मौजा गनेशपुर टोला चुवाडे तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 09–09–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 09 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26 माह 08 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 184/2025
दीपक गुप्ता–सायल

1. दीपक गुप्ता उम्र लगभग 25 वर्ष दत्तक पुत्र स्व0 रामसूरत ग्राम नटवाजोत पोस्ट ऊँजी तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 22–09–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 22–09–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com